



समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

82-4049-I-16

निगरानी प्रकरण क्रमांक

/2016-17

आवेदक  
निगरानीकर्ता

: राकेश कुमार चडार, पिता श्री कछेदी लाल  
चडार, उम्र-लगभग 41 वर्ष, निवासी-ग्राम  
रिमझा, तहसील पनागर, जिला जबलपुर  
(म.प्र.)

विरुद्ध

अनावेदक

: म.प्र. शासन

मैरनिगरानीकर्ता

श्री. राजेश चडार

दिनांक 2.12.16 को

प्रस्तुत

गजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2-12-16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता, 1959

आवेदक/निगरानीकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष

यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जबलपुर द्वारा  
प्रकरण क्रमांक 15/बी-121/2016-17 में पारित आदेश दिनांक  
23.11.2016 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर  
प्रस्तुत करता है:-

तथ्य

यह कि, आवेदक ग्राम रिमझा, तहसील पनागर, जिला  
जबलपुर (म.प्र.) का स्थायी निवासी है तथा ग्राम कोटवार  
है ।

2. यह कि, आवेदक द्वारा एक आवेदन अनुविभागीय अधिकारी  
जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे प्रकरण क्रमांक  
34/बी-121/2015-16 के रूप में दर्ज कर प्रकरण में  
तहसीलदार पनागर से प्रतिवेदन तलब किया गया ।

02/12/16

R 4049-116

49087

17-1-18

आपके आने की वृत्ति  
 परुषों के उपर। अनाथ आत्मों की  
 को के आर कठिने की अजस्य-पुत्रों  
 उपर। आपके कठिने-बाप-सिपेदन  
 किमा कि प्रकृत से 2 प्रेस से एकात्म  
 की-दिमा मने आर कठिने को को  
 आपकी नली। आपके कठिने के सिपेदन  
 पर-के-पुत्र के प्रकृत की एकात्म  
 अनाथ किमा मना की प्रकृत की  
 किमा के

4049-116

17.1.18  
 N. P. D. S.  
 R. P. D. S.

प्रकृत